न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-11/2017

रिछपालसिंह पुत्र सुण्डाराम जाति जाट निवासी तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर॥राज0॥

---अपीलान्ट---

--बनाम--

1- कालूराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

2- गोविन्दराम पुत्र मंगलाराम
3- महादेव पुत्र मंगलाराम
4- लक्ष्मणसिंह पुत्र शंकर उर्फ हरिशंकर
5- रामोतारसिंह पुत्र शंकर उर्फ हरिशंकर
6- सुशील पुत्र रूकमादेवी पुत्री मंगलाराम
7- सरोज पुत्र रूकमादेवी पुत्री मंगलाराम
8- बिमला पुत्री रूकमादेवी पुत्री मंगलाराम
9- सीताराम पुत्र सुरजा उर्फ सुरजमल

॥ जाति जाट निवासीगण ग्राम लांपूवा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

10 हरदेवा पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

11-नाथूराम पुत्र छोटूराम
12-रामेश्वर पुत्र छोटूराम

॥ जाति जाट निवासी तपीपल्या हाल ग्राम संतोषपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

13- गणपतसिंह पुत्र लादूराम
14- भागीरथसिंह पुत्र लादूराम
15- गोकूलसिंह उर्फ गोकूलचन्द पुत्र लालूराम

॥ जाति जाट निवासी ग्राम तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

16- प्रहलादसिंह पुत्र झूथाराम
17- मुनेष पुत्र सीताराम पुत्र झूथाराम
18-देशराज पुत्र झूथाराम

॥ जाति जाट निवासी तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

19- भगवानसिंह पुत्र पोखरमल]
20- मोतीराम पुत्र सुण्डाराम]
21- संग्रामसिंह पुत्र सागरमल पुत्र सुण्डाराम] जाति जाट निवासी ग्राम
22- श्यामसुन्दर पुत्र सागरमल पुत्र सुण्डाराम] तपीपल्या तहसील
23- रामसिंह पुत्र नारायणसिंह] श्रीमाधोपुर जिला
24- रामदेवसिंह पुत्र नारायणसिंह] सीकर ।
25- हंसराज पुत्र नारायणसिंह]
26-बंशीधर पुत्र गोपालसिंह]

27- भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर]राज0]

28- पटवारी हल्का तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 19-12-2016 द्वारा
सहायक कलेक्टर]फास्ट ट्रेक]
खण्डेला ।

--0--

उपस्थिति-

1- श्री सागरमल धायल एडवोकेट-अपीलान्ट

2-श्री विद्याधर सूण्डा एडवोकेट- रेस्पोडेन्टस--

निर्णय दिनांक- 4.6.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 15 ने अदालत मातहत में दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 527 रकबा 2.47 हैक्टर, ख0नं0 528 रकबा 0.37 हैक्टर, ख0नं0 529 रकबा 2.55 हैक्टर, ख0नं0 530 रकबा 0.05

903 रकबा 2.15 हैक्टर, ख0नं0 490 रकबा 0.55 हैक्टर, ख0नं0497 रकबा 3.95 हैक्टर, ख0नं0 488 रकबा 2.91 हैक्टर, ख0नं0 489 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं 491 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 492 रकबा 2.40 हैक्टर, खसरा नं0493 रकबा 0.77 हैक्टर, ख0नं0 494 रकबा 3.75 हैक्टर, ख0नं0 495 रकबा रकबा 0.24 हैक्टर, ख0नं0 496 रकबा 0.80 हैक्टर, ख0नं0 533 रकबा 4.65 हैक्टर, ख0नं0 534 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 535 रकबा 2.80 हैक्टर, ख0नं0 493/996 रकबा 1.48 हैक्टर, कुल किता-21 रकबा 32.13 हैक्टर तन ग्राम तपीपल्या में एवं आराजी ख0नं0 184, 537, 539 से 542, 545, 800 801, 803, 803/1063, 803/1064, 537/1042, 538, 803/1041 कुल किता 16 रकबा 8.10 हैक्टर ग्राम लापूवा में स्थित है ।

उपरोक्त समस्त भूमिया वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0-1 से 12 की पैत्रिक एवं संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमिया है। इन भूमियों में ख0नं0 493/996 रकबा 1.48 हैक्टर, ग्राम तपीपल्या व भूमि खसरा नं0 537/1042 रकबा 0.30 हैक्टर, ख0नं0 538 रकबा 0.65 हैक्टर, ख0नं0 803/1041 रकबा 1.04 हैक्टर तन ग्राम लापूवा सिलिंग के कारण प्रतिवादी मोतीराम पुत्र सुण्डाराम व हरदेव पुत्र मंगलाराम के नाम वादीगण एवं प्रतिवा-दीगण के बुर्जगो ने करवा दी थी किन्तु उक्त भूमिया भी पैत्रिक व शामला-ती ही रही है । वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 12 बक्साराम के वारिसान एवं उत्तराधिकारी है तथा भूमियां बक्साराम के पांचों पुत्रों क्रमशः: पोखरराम, मंगलाराम, छोटूराम, लालूराम व बीजाराम की शामलाती भूमिया है। जिनमे इन पाचों भाईयो का 1/5, 1/5 हिस्सा है । उपरोक्त विवादित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुजर्गान के मध्य दिनांक 25-7-1968 को पारिवारिक बंटवारा होकर पारिवारिक बंटवारा लिख दिया जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुजर्गान के सहमति के हस्ताक्षर हैं । इस बंटवारा के अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण सन् 1968 से अपने अपने हिस्सो पर काबिज काश्त आबाद है ।सीव डोल को लेकर वादीगण एव प्रतिवादीगण मे कोई विवाद न हो तथा बिना विधिवत विभाजन के अपने

अपने हिस्से का विकास भी नही कर सकते तथा सरकारी सुविधा, सहायता भी प्राप्त नही कर सकते । इस कारण वादीगण ने अपने हिस्से की भूमियो का विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउडस बटवारा कराना आवश्यक होने पर यह दावा पेश किया । अतः उक्त आराजी का विधिवत बटवारा किया जाकर अलग अलग हिस्सेनुसार खाता अलग अलग किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई अदालत मातहत ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 2-11-2016 को जारी की जिस पर विभाजन प्रस्ताव आने के बाद अन्तिम डिक्री जारी की जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या- 20 से 22 ने अदालत मातहत में काउण्टर क्लेम पेश किया था । जिसका जबाब पेश होने पर अदालत मातहत ने दि0 2-11-2016 को ही तनकीयात कायम की व पत्रावली आंयदा साक्ष्य वादीगण हेतु आगामी पेशी 9-11-2016 की नियत की गई । उसके बाद बिना अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता को सुने ही बिना स्टेज के पुनश्च लिखते हुये प्राथमिक डिक्री जारी कर दी तथा तहसीलदार को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश प्रावधानों के विपरित पारित कर दिये । जिस में किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया की कोई पालना नहीं की गई । प्रकरण को साक्ष्य में रखा गया किन्तु कोई साक्ष्य नहीं ली जाकर आदेश पारित किया है । काउण्टर क्लेम के सम्बन्ध में तनकीयात कायम किये जाने के बाद बिना साक्ष्य लिये बिना किसी नतीजे पर पंहुचे आदेश पारित किया है । अदालत मातहत में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-20, 21, 22 ने बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 17-11-2016 का ऐतराज प्रस्तुत किया तथा बिना साक्ष्य लिये की जा रही कार्यवाही पर ऐतराज प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया । विवादित आराजी दो ग्रामों लांपूवा एवं तपीपल्या में स्थित है । ग्राम लांपूवा की आराजी भी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमिया है जो खाटूश्यामजी रोड के नजदीक होने

से काफी कीमती भूमियां है जिनमें से अपीलान्ट को कोई भूमि प्रस्तावित नहीं की है । तथा ग्राम तपीपल्या की तन में स्थित भूमियां जो काफी कम कीमत की है जो अपीलान्ट को प्रस्तावित की है ।इस बिन्दू पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अदालत मातहत ने दावे में तनकीयात कायम की है तो दोनो पक्षों की साक्ष्य ली जाकर दावे का निर्णय तनकीवाईज किया जाना चाहिये था । किन्तु अदालत मातहत ने तनकीयों का निर्णय न कर विधिक प्रकिया की पालना किये बिना आदेश पारित किया है।बंटवारा प्रस्ताव में रास्तों सम्बन्धी नियमों की कोई पालना न कर आदेश पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिक्री को निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी दो गांवों की है जिसमें एक ग्राम तपीपल्या एवं दूसरी ग्राम लांपूवा में स्थित है । उक्त दोनों ग्रामों की भूमियां ही अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस् की पैत्रिक भूमिया है ।जिनका विधिवत आज दिनांक तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है । वादीगण ने बंटवारा का दावा पेश किया जिसमे अपीलान्ट ने भी काउण्टर दावा पेश किया । दावे में तनकीयात कायम की गई किन्तु अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐ बिना साक्ष्य लिये बिना तनकीयों का निर्णय कर दावा का निर्णय कर दिया जो विधिक प्रक्रिया के विपरित है ।मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई ।बिना सूचना दिये ही अधिक कीमत की आराजी जो ग्राम खाटूश्यामजी के पास ग्राम लांपूवा में स्थित है उन भूमियों में अपीलान्ट को कोई भूमि नहीं दी गई । अपीलान्ट को केवल ग्राम तपीपल्या की आराजी में से आराजी प्रस्तावित की है जो

कम कीमत की है ।इन तथ्यों पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश की जिस पर कोई गौर न कर अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एव प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिक्री का निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित एवं विधिक ठहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस् की संयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी की है जो पैतृक है । इस आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ किन्तु अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों ने पारिवारिक बंटवारा आपसी सहमति से दिनांक 25-7-68 को किया गया जिसके बाबत लिखा पढी की गई । इस पारिवारिक बंटवारे के अनुसार पक्षकार अपने अपने हिस्से पर काबिज है । पक्षकारों के पूर्वजों ने यह बंटवारा पारिवारिक समझौते के तहत किया है जिस पर अपनी सहमति के हस्ताक्षर किये । इन सहमति के हस्ताक्षरों से पक्षकार पाबन्द है। मौके पर बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जिस पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर है ।इस बंटवारा से केवल अपीलान्ट ही अपने आपको प्रभावित बताया है जबकि अन्य सभी पक्षकार किये गये बंटवारा प्रस्ताव से सहमत है । देखा जाये तो अपीलान्ट भी अपने पूर्वजों द्वारा किये गये पारिवारिक बंटवारा प्रस्ताव से पाबन्द है ।अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 26 की पैतृक भूमि है जो संयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी की दर्ज है । बंटवारा जमीन व मकान की लिखावट दिनांक 25-7-1968 में बक्साराम के 5 पुत्रों में पोखरराम, मंगलाराम, नारायणसिंह गापालसिंह, लालुराम व छोटूराम के मध्य पारिवारिक लिखा

पढी हुई है । जिस पर बक्साराम के उक्त वारिसान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। अपीलान्ट पोखरराम का वारिस है और पोखरराम के हस्ताक्षर है । इस बंटवारा प्रस्ताव पर विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डेला ने अपने हस्ताक्षर किये हैं । तहसीलदार ने बंटवारा प्रस्ताव मय हल्का पटवारी के तैयार किये है जिसमें जिसमें सभी खातेदारों को उनके हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव में हिस्सा दिया है। मौके पर जिस प्रकार कब्जा है उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये है ।अपीलान्ट का यह कथन कि योग्य अदालत मातहत मे तनकीयात कायम की है किन्तु तनकीवाईज निर्णय नही किया । इसमे सबसे महत्वपूर्ण बिन्दू यह है कि अपीलान्ट के दादा पोखरराम ने दिनांक 25-7-1968 को पारिवारिक समझौता पर अपने सहमति के हस्ताक्षर किये है। इस पारिवारिक समझौता से अपीलान्ट स्टोपड है। सन् 1968 के बंटवारे के अनुसार मौके पर पक्षकार काबिज चले आ रहे है उससे आज अलग कोई बटवार नही किया जा सकता । कुल 27 पक्षकार हैं जिनमे से केवल अकेले अपीलान्ट ने ही बंटवारा का ऐतराज करते हुये अपील पेश की है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के निर्णय मे केवल विधिक प्रक्रिया नही अपनाने का आरोप लगाया है। यह बिन्दू अपीलान्ट का मान्य नही है क्योकि अपीलान्ट का पूर्वज पोखरराम बटवारा लिखावट पर अपने हस्ताक्षर किये हुये है जिससे अपीलान्ट पाबन्द है। केवल यह कह देना की अदालत मातहत ने तनकीवाईज निर्णय नहीं किया ।यह बिन्दू इस कारण मानने योग्य नहीं है कि पक्षकारो के पूर्वजों ने सहमति के आधार पर पारिवारिक बंटवारा किया है ।जिस बंटवारे को आज लगभग 50 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है ।लगभग 50 वर्ष पुराने कब्जा काश्त के विपरित तहसीलदार ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार नही किया है बल्कि मौके के अनुसार ही बटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है । जिसे अदालत मातहत ने देखते हुये अपीलान्ट की आपत्ति पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया है जिसमे हम किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील...

प्रकार की कानूनी भूल नहीं पाते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला का निर्णय एव प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 2-11-2016 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 19-12-2016 को यथावत रखा जाता है । निर्णय की एक प्रति अपील संख्या-7/2016 में शामिल की जावे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 4.6.2018 को सुनाया गया ।

4/6/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर